यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के माह 01/2014 से 11/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 05.12.2018 से 10.12.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत जनवरी 2014 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रुप में अस्तित्व में आया। इसके पश्चात् इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2014 से 11/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**
इकाई द्वारा विकास खण्ड, चम्पावत के अन्तर्गत स्थित समस्त माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण, छात्रों की शिक्षण ब्यवस्था सुचारु रुप से करवाने के दायित्व के निर्वहन, निरीक्षण, अनुश्रवण एवं निर्देशित कार्य एवं दायित्वों का सम्पादन किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र विकास खण्ड, चम्पावत में स्थित माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित है।

(ii) **(अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :**

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवषेष | | स्थापना | | गैर–स्थापना | | स्थापना | | गैर–स्थापना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर–स्थापना | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) | आधिक्य (+) | बचत (-) |
| 2014–15 | – | – | 9.83 | 9.67 | 29.45 | 10.57 | – | 0.16 | – | 18.88 |
| 2015–16 | – | – | 19.78 | 19.78 | 134.44 | 134.05 | – | – | – | 0.39 |
| 2016–17 | – | – | 10.54 | 10.54 | 73.75 | 73.75 | – | – | – | – |
| 2017–18 | – | – | 137.56 | 123.67 | – | – | – | 13.89 | – | – |
| 2018–19 (11/18) | – | – | 91.97 | 64.36 | – | – | वित्तीय वर्ष प्रगतिरत | | | |

नोट :– अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :**

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | शून्य | – | – | – | – | – |
| 2015–16 | | – | – | – | – | – |
| 2016–17 | | – | – | – | – | – |
| 2017–18 | | – | – | – | – | – |
| 2018–19 (11/18) | | – | – | – | – | – |

(iii) इकाई को बजट आबंटन समस्त मदों हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''स'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

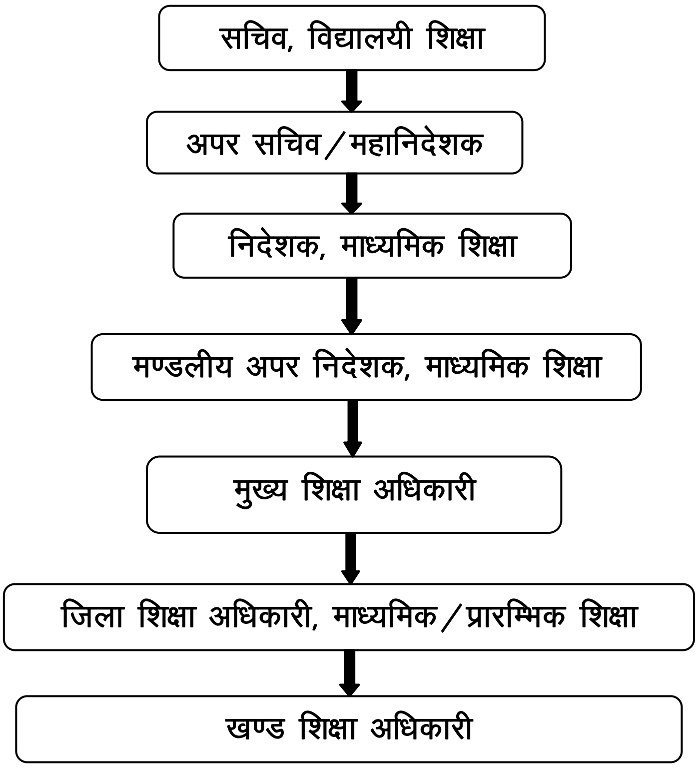


(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन **पृथक– पृथक** जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016, मार्च 2017 एवं फरवरी 2018 को **विस्तृत** जॉच हेतु चयन अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

# भाग–II 'ब'

**प्रस्तर–1ः आहरित धनराशि रु0 449.24 लाख की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 18.42 लाख के व्यय वाउचर/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना।**

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी फार्म जी0ए0आर0–3 में रोकड बही का रख–रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन–देनों के घटित होने पर उसमें प्रविष्टि करेगा। माह के अन्त में रोकड बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र स्वहस्तालेख में अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 3/xxvii(6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के विन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षा अवधि (01/2014 से 11/2018) की रोकड बही की जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. खण्ड कार्यालय द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक कोषागार से आहरित एवं व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड बही में नहीं की गई है, जबकि उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा बी0एम0–5 के अनुसार कोषागार से रु0 449.24 लाख **(संलग्नक–1)** की धनराशि आहरित कर व्यय की गई। लेखापरीक्षा दल द्वारा कोषागार के बी0एम0–5 का मिलान **विस्तृत** जॉच हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों से ही किया गया। कार्यालय में उक्त आहरणों की प्रविष्टि रोकड बही न होने के कारण अंकगणितीय शुद्धता की भी जॉच नहीं की जा सकी।
2. लेखापरीक्षा में **विस्तृत** जॉच हेतु चयनित माह मार्च 2016, मार्च 2017 एवं फरवरी 2018 के रु0 18.42 लाख **(संलग्नक–2)** के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये, जिसके कारण लेखापरीक्षा में उक्त व्यय की सत्यापन जॉच नहीं की जा सकी।
3. कार्यालय के बैंक खाते में नवम्बर 2018 के अन्त में बैंक ब्याज से प्राप्त राशि रु0 65,342.00 अवशेष पडी हुई थी। जबकि शासनादेश दिनॉक 21 अप्रैल 2017 के अनुसार बैंक खातों से प्राप्त ब्याज को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था।
4. कार्यालय द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के वित्तीय वर्षों के अन्त में बजट समर्पण, Øय पत्रावलियॉ, बजट पत्रावली/पंजिका, स्टेशनरी पंजिका, निरीक्षण एवं अनुश्रवण पत्रावलियॉ इत्यादि अभिलेख जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसके कारण उक्त अवधि के सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जॉच नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि (i) समस्त लेन–देन कोषागार से कार्मिकों के बैंक खातों में होने के कारण रोकड बही में प्रविष्टि नहीं की गई। आगामी वर्ष से प्रविष्टियॉ की जाएगी, (ii) चयनित माह के व्यय वाउचर एवं वर्ष 2014–15 से 2016–17 के अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में बताया कि वर्तमान में अथक प्रयासों के बावजूद सम्बन्धित माहों के व्यय वाउचर/अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए एवं (iii) बैंक ब्याज के सम्बन्ध में बताया कि उच्चाधिकारियों से स्पष्ट निर्देश प्राप्त न होने के कारण अवशेष खाते में रहा, जिसे निर्देश प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड बही का रख–रखाव कर प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी तथा व्यय वाउचरों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

अतः आहरित धनराशि रु0 449.24 लाख की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 18.42 लाख के व्यय वाउचर/अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

| | | | |
|---|---|---|---|
| January 2014 | 79415.00 | August 2016 | 400959.00 |
| February 2014 | 79415.00 | September 2016 | 72197.00 |
| March 2014 | 126250.00 | October 2016 | 71114.00 |
| April 2014 | 173985.00 | November 2016 | 75268.00 |
| May 2014 | 83204.00 | December 2016 | 57298.00 |
| June 2014 | 60390.00 | January 2017 | 105932.00 |
| July 2014 | 61530.00 | February 2017 | 107462.00 |
| August 2014 | 61530.00 | March 2017 | 6673428.00 |
| September 2014 | 61530.00 | April 2017 | 107462.00 |
| October 2014 | 83333.00 | May 2017 | 399838.00 |
| November 2014 | 102091.00 | June 2017 | 214358.00 |
| December 2014 | 63501.00 | July 2017 | 160174.00 |
| January 2015 | 187086.00 | August 2017 | 156062.00 |
| February 2015 | 391089.00 | September 2017 | 482375.00 |
| March 2015 | 694615.00 | October 2017 | 360136.00 |
| April 2015 | 508762.00 | November 2017 | 113353.00 |
| May-15 | 396445.00 | December 2017 | 426982.00 |
| June 2015 | 223641.00 | January 2018 | 2124523.00 |
| July 2015 | 278854.00 | February 2018 | 5478948.00 |
| August 2015 | 1313007.00 | March 2018 | 2342951.00 |
| September 2015 | 3593460.00 | April 2018 | 915060.00 |
| October 2015 | 710918.00 | May 2018 | 498570.00 |
| November 2015 | 170640.00 | June 2018 | 1889270.00 |
| December 2015 | 254183.00 | July 2018 | 462643.00 |
| January 2016 | 174364.00 | August 2018 | 499739.00 |
| February 2016 | 293842.00 | September 2018 | 543637.00 |
| March 2016 | 7464795.00 | October 2018 | 859170.00 |
| April 2016 | 466256.00 | November 2018 | 767526.00 |
| May 2016 | 61891.00 | Total : | **44923558.00** |
| June 2016 | 97976.00 | | |
| July 2016 | 239125.00 | | |

संलग्नक–2

| वाउचर सं0 | तिथि | अनुदान सं0 | राशि |
|---|---|---|---|
| B22020146 | 09.03.2016 | 11 | 4885.00 |
| A22020085 | 17.03.2016 | 11 | 86902.00 |
| A22020153 | 22.03.2016 | 11 | 669.00 |
| B22020732 | 26.03.2016 | 11 | 2046.00 |
| B22020860 | 29.03.2016 | 11 | 1000.00 |
| B22020861 | 29.03.2016 | 11 | 1500.00 |
| B22020894 | 31.03.2016 | 11 | 2105.00 |
| B22020914 | 31.03.2016 | 11 | 10000.00 |
| B22020915 | 31.03.2016 | 11 | 1578.00 |
| B22020916 | 31.03.2016 | 11 | 3000.00 |
| B22020917 | 31.03.2016 | 11 | 5000.00 |
| B22020918 | 31.03.2016 | 11 | 50000.00 |
| B22020926 | 31.03.2016 | 11 | 220000.00 |
| A22020137 | 21.03.2017 | 11 | 5842.00 |
| B22020385 | 21.03.2017 | 11 | 1292.00 |
| B22020386 | 21.03.2017 | 11 | 1050.00 |
| B22020463 | 22.03.2017 | 11 | 2956.00 |
| A22020180 | 24.03.2017 | 11 | 90524.00 |
| B22020666 | 24.03.2017 | 11 | 1612.00 |
| A22020022 | 05.02.2018 | 11 | 223057.00 |
| A22020023 | 05.02.2018 | 11 | 563500.00 |
| A22020024 | 05.02.2018 | 11 | 563710.00 |
| **Total :** | | | **1842228.00** |

## भाग–II 'ब'

**प्रस्तर–2: मुफ्त साईकिल योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रु0 2.11 लाख का उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न किया जाना।**

उत्तराखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु राज्य के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 9 में प्रवेश पाने वाली समस्त वर्ग की बालिकाओं को मुफ्त साईकिल योजना दी जानी है। योजना के अनुसार (i) मैदानी क्षेत्रों की बालिकाओं को अनिवार्य रुप से मुफ्त साईकिल सुविधा एवं पर्वतीय क्षेत्रों की बालिकाओं को साईकिल Øय मूल्य के समतुल्य धनराशि की एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0/डाकघर एफ0डी0 लेने का विकल्प रहेगा जिसके अन्तर्गत साईकिल की लागत के बराबर की धनराशि सावधि जमा के रुप में दी जाएगी, (ii) बालिकाओं के ऐसे सावधि जमा प्रमाण–पत्र का नकदीकरण सम्बन्धित बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् देय होगी एवं (iii) योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात् यदि किसी छात्रा द्वारा शालात्याग किया जाता है तो ऐसी दशा में साईकिल के लागत की धनराशि/सावधि जमा धनराशि विभाग को वापस कर शासकीय कोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के मुफ्त साईकिल योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय को वर्ष 2017–18 में उक्त योजना के अन्तर्गत 80 बालिकाओं हेतु रु0 2.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी तथा निर्देशित किया गया था कि अवमुक्त धनराशि बालिकाओं के खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित कर उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाए। कार्यालय द्वारा अवमुक्त धनराशि अधीनस्थ विद्यालयों को हस्तान्तरित कर उपभोग प्रमाण–पत्र वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चम्पावत को प्रेषित किया गया था परन्तु कार्यालय द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों से इस सम्बन्ध में न तो कोई उपभोग प्रमाण–पत्र लिया गया एवं न ही सावधि जमा से सम्बन्धित कोई सूचना कार्यालय के पास उपलब्ध थी। कार्यालय के पास इस तरह के भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह पुष्टि करे कि 80 बालिकाओं के सापेक्ष वास्तविक रुप से कितनी बालिकाओं को साईकिल योजना से लाभान्वित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि 6 साईकिल Øय की गई है शेष सूचना अप्राप्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ विद्यालयों को अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग की सूचना तथा अभिलेख खण्ड कार्यालय द्वारा लिया जाना चाहिए था।

अतः मुफ्त साईकिल योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रु0 2.11 लाख का उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या | स्टैन |
|---|---|---|---|
| इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | |

# भाग–IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

# भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–
   (i) चयनित माह मार्च 2016, मार्च 2017 एवं फरवरी 2018 के रु0 18.42 लाख के व्यय वाउचर तथा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के बजट समर्पण, Øय पत्रावलियॉ, बजट पत्रावली, स्टेशनरी पंजिका, निरीक्षण एवं अनुश्रवण पत्रावलियॉ इत्यादि अभिलेख

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

| Ø0 | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री हरेन्द्र बोरा | खण्ड शिक्षा अधिकारी | 16.01.2014 से 31.03.2014 |
| 2. | श्री प्रेम सिंह | | 01.04.2014 से 27.01.2015 |
| 3. | श्री हयात सिंह मियान | | 28.01.2015 से 30.04.2016 |
| 4. | श्री अंशुल बिष्ट | | 01.05.2016 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाएं।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र**